

भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
12.05.2016 को राज्य सभा में
पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या : 201

परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा संपरीक्षा

*201. श्री राजीव शुक्ला:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) सरकार द्वारा भारत में परमाणु संयंत्रों, विशेषकर उच्च भूकंपीय क्षेत्रों में स्थित संयंत्रों की सुरक्षा के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं; और
- (ख) क्या पिछले दो वर्षों के दौरान इन संयंत्रों की सुरक्षा संबंधी कोई जांच की गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेन्द्र सिंह):

(क) तथा (ख) एक विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग

“परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा संपरीक्षा” के बारे में दिनांक 12.05.2016 को श्री राजीव शुक्ला द्वारा राज्य सभा में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या 201 के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

- (क) परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद (एईआरबी) ने, नाभिकीय विद्युत संयंत्रों (एनपीपीज़) के स्थल निर्धारण, अभिकल्पन, निर्माण, कमीशनन और प्रचालन के लिए संरक्षा संबंधी आवश्यकताओं को विनिर्दिष्ट किया है। सभी नाभिकीय विद्युत संयंत्रों के लिए परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद से लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक होता है, जोकि विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से विस्तृत संरक्षा समीक्षा के बाद जारी किया जाता है। नाभिकीय विद्युत संयंत्रों के प्रचालन के दौरान, संरक्षा संबंधी आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, संरक्षा समीक्षा, आवधिक संरक्षा समीक्षा और आवधिक निरीक्षणों के माध्यम से संरक्षा संबंधी कार्य-निष्पादन का मानीटरन निरन्तर किया जाता है।

भारतीय भूकंपीय डिज़ायन कोड (आईएस: 1893, 2002) के अनुसार, देश को चार भूकंपीय ज़ोनों में वर्गीकृत किया गया है। ज़ोन V अधिकतम भूकंपीय वाले क्षेत्रों से और ज़ोन II न्यूनतम भूकंपीय वाले क्षेत्रों से संबद्ध है। ज़ोन V में किन्हीं नाभिकीय विद्युत संयंत्रों को स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जाती है। इसके अतिरिक्त, यदि किसी स्थल के पाँच किलोमीटर क्षेत्र के भीतर किसी सक्रिय अथवा बड़े दोष के बारे में कोई प्रमाण मिलता है तो, इस स्थल को अस्वीकार्य घोषित कर दिया जाता है। नाभिकीय विद्युत संयंत्रों का अभिकल्पन तथा निर्माण, किसी विशिष्ट स्थल के लिए लागू भूकंपीय प्राचलों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है, और आवश्यक संरचनाओं, प्रणालियों तथा संघटकों का अभिकल्पन/उन्हें अर्हता प्रदान करने का कार्य, भूकंपीय गतिविधि के दौरान भी सुरक्षित प्रचालन सुनिश्चित करने को ध्यान में रखकर किया जाता है। इसके अतिरिक्त, परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद ने, सभी नाभिकीय विद्युत संयंत्रों के लिए भूकंपीय घटना होने की स्थिति में रिएक्टर के स्वचालित रूप से ट्रिप हो जाने की व्यवस्था उपलब्ध कराने की आवश्यकता का उल्लेख किया है। नाभिकीय विद्युत संयंत्र के

डिजायन में, नाभिकीय तथा विकिरण संरक्षा के संबंध में गहन सुरक्षा पद्धति अपनाई जाती है जिसमें विकिरण संबंधी आपातस्थिति भी, यदि कोई हो तो, का सामना करना भी शामिल है।

- (ख) जी, हाँ। सभी नाभिकीय विद्युत परियोजनाओं/संयंत्रों का संरक्षा संबंधी मानीटरन, परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद द्वारा, संरक्षा समीक्षाओं और आवधिक निरीक्षणों के माध्यम से निरंतर किया जाता है। सभी नाभिकीय विद्युत संयंत्रों के मामले में सहमति दिए जाने के चरणों, नामतः स्थल निर्धारण, निर्माण, कमीशनन आदि के दौरान ही, गहन संरक्षा समीक्षा की जाती है। परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद, परियोजना चरण के दौरान, संतोषजनक समीक्षा के बाद, किसी नाभिकीय विद्युत संयंत्र को पांच वर्ष तक की अवधि के लिए लाइसेंस जारी करता है।

लाइसेंस की अवधि के दौरान, किसी प्रचालनरत नाभिकीय विद्युत संयंत्र के कार्य-निष्पादन का निरंतर मानीटरन, विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसरण में किया जाता है। परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद, प्रचालनरत नाभिकीय विद्युत संयंत्रों का निरीक्षण प्रत्येक छः महीने में एक बार करती है। इसके अतिरिक्त, संयंत्रों के लिए, उनके प्रचालन के लिए प्राप्त लाइसेंस के नवीकरण हेतु, पांच वर्ष में एक बार व्यापक संरक्षा समीक्षा कराना आवश्यक होता है। प्रचालन लाइसेंस का नवीकरण करते समय, संयंत्र का एक समेकित संरक्षा मूल्यांकन किया जाता है। परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद (एईआरबी) द्वारा, भारत में स्थापित सभी परमाणु विद्युत संयंत्रों की आवधिक संरक्षा जांच की जाती है। पिछले दो वर्षों के दौरान, राजस्थान परमाणु बिजलीघर-1 तथा 2, काकरापार परमाणु बिजलीघर-1 तथा 2 राजस्थान परमाणु बिजलीघर-5 तथा 6, मद्रास परमाणु बिजलीघर-1 तथा 2, व तारापुर परमाणु बिजलीघर-1 तथा 2 के मामले में ऐसी संरक्षा समीक्षा की गई थी।
